न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 124/2017 **दायर दिनांकः 01/09/2017**

उनवान

1. मोहनलाल आयु 63 वर्ष पुत्र रतनलाल जाति लुहार निवासी मुसई गुजरान तहसील अटरू हाल निवासी अग्रवाल धर्मशाला के पास कवाई जिला बारां (राज०)
2. बादाम बाई आयु 45 वर्ष पुत्री रतनलाल पत्नि बालमुकन्द जाति लुहार निवासी मुसई गुजरान हाल निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. लाड बाई आयु 40 वर्ष पुत्री रतनलाल पत्नि त्रिलोकचन्द जाति लुहार निवासी मुसई गुजरान हाल निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,188 आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

आदेश दिनाकः 17/03/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मुसई गुजरान तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में एडवाईजरी कमेटी के द्वारा दिनांक 16.09.1978 को पुराना ख0नं0 132 की 6 बीघा भूमि का आवंटन वादी के किया गया था। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार साहब अटरू द्वारा दिनांक 23.11.1978 को उक्त वर्णित आराजी का नामान्तरण संख्या 264 से वादी के गैर खातेदारी में दर्ज हुई। नकल नामान्तकरण संख्या 264 नकल जमाबन्दी संवत 2036–39 साथ में संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का दौरानै सैटलमेन्ट नये ख0नं0 289 का रकबा 0.09 है0 ख0न0 291 का रकबा 0.29 है0, ख0नं0 294 का रकबा 0.57 है0 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:52 IST
Reason: SelfAttested

किता 3 का रकबा 0.95 है दर्ज किया है। जिसे वादी के दर्ज खाता नही करके खाता संख्या 1 बनाकर बंजड राजस्थान सरकार के दर्ज खाता कर दिया। जबकि उक्त आराजी को वादी के खाते दर्ज करना चाहिए थी। जबकि वादी ने नियमानुसार ऐलोटमेन्ट की शर्तों की पालना कर दी थी तथा मौके पर आज भी वादी पुराने रकबा 6 बीघा पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त लगातार करता चला आ रहा है। लम्बे समय से चले आ रहे कब्जा मुखालफाना (बाई आपरेशन ऑफ लॉ) के तहत वादी खातेदार कृषक बन चुका है। नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट, मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 खाता संख्या 1 साथ में संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी वर्तमान में बंजड दर्ज कर देने से प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही की जाती है। जिससे वादी को आर्थिक एवं मानसिक क्षति हो रही है। इसलिए वाद पत्र की मद न0 2 में वर्णित उक्त आराजी को खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त वर्णित आराजी को वादी खाते दर्ज कराने का अधिकारी एवं नॉलिशी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य मे सफल रहा और वादी को कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पडेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादाकं में उलझना पडेगा। अस्तु वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 1 का रकबा 0.95 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर 91 एल0आर0 एक्ट0 की कार्यवाही नही करें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार आपके अधिनस्थ सेटलमेन्ट के कर्मचारीगण द्वारा वाद पत्र की मद न0 1 व 2 में वर्णित आराजी वादी के खाते दर्ज नही करने पर व अन्तिम बार दिनांक 20.06.2017 को प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी वादी के खाते दर्ज करने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ।

राजस्थान सरकार भूमि स्वामी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः—

(अ) वाद पत्र की मद न० 2 में वर्णित खाता संख्या 1 का ख0नं0 289 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 291 का रकबा 0.29 है0 ख0नं0 294 का रकबा 0.57 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.95 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द किया जावें कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर 91 एल0आर0 एक्ट0 की कार्यवाही नही करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि

बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है कि ग्राम मुसई गुजरान गत खसरा नंबर 132 कुल रकबा 37 बीघा में से 6 बीघा किस्म बारानी तृतीय आवंटी रतनलाल पुत्र रामचन्द जाति लुहार के नाम नामान्तरण संख्या 264 दिनांक 18.11.1978 को गैर खातेदारी स्वीकार की गई थी। नामान्तरण प्रति संलग्न है। एवं गैर खातेदारी जमाबन्दी संवत 2036 —39 खाता संख्या 254 गैर खातेदारी की संलग्न है।

बिन्दु संख्या 2 स्वीकार है कि गत खसरा नंबर 132 के नवीन खसरा नंबर 289 रकबा 0.09 है0 ख नं0 291 रकबा 0.29 है0 , एवं ख0नं0 294 रकबा 0.57 किता 3 रकबा 0.95 है0 नवीन ख0नं0 बने है जिसकी किस्म बंजड बरानी दर्ज कर सिवायचक खाते में दर्ज है।

बिन्दू संख्या 3 स्वीकार है कि बिन्दु संख्या 2 में वर्णित ख0नं0 एवं रकबा पर आवंटी के पुत्र, मोहनलाल पुत्र रतनलाल नें अतिक्रमण किया है।

बिन्दु संख्या 4 स्वीकार है कि आवंटी रतनलाल पुत्र रामचन्द की मृतक अरसा 16 वर्ष हो चुके है जिसके वारीसान वादी नं0 1 मोहनलाल 2 बदाम बाई पुत्री रतनलाल 3 लाड बाई पुत्री रतनलाल जीवित है। आवन्टी की पत्नि नाराणी बाई मृतक अरसा 13 वर्ष हो चुके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:52 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दु संख्या 5 न्यायालय से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 6 न्यायालय से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 7 क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 8 श्रवणाधिकार से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 9 न्यायालय से सम्बन्धित है।

अतः वर्तमान रिकार्ड में आवन्टी मृतक हो जाने से एवं बन्दोबस्त से पूर्व आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्जा होने से वर्तमान रिकार्ड में अमल किया जाना उचित होगा।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न लिखित तनकीयात कायम की जाती हैः—

1. आया कि ग्राम एवं माल मुसई गुजरान तह0 अटरू में वादी के पिता को दिनांक 16.09. 1978 को पुराना ख0नं0 132 की 6 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसका नामान्तरण सख्या 264 दिनांक 23.11.1978 को नायब तहसीलदार अटरू द्वारा वादी के पिता के नाम गैर खातेदारी में आराजी पर दर्ज हुआ।

(वादीगण)

2. आया कि वादी पुराना रकबा 6 बीघा के नये ख0नं0 289 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 291 का रकबा 0.29 है0 ख0नं0 294 का रकबा 0.57 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.95 है0 पर वादी खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। (वादीगण)

3. आया कि प्रतिवादी को वादी जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही नही करें।

(वादीगण)

4. आया कि आवन्टी रतनलाल पुत्र रामचन्द्र को मृतक अरसा 16 वर्ष हो चुके है जिसके वारीसान वादी नं0 1 मोहनलाल (वादी) 2 बदाम बाई (पुत्री) 3 लाड बाई (पुत्री) जीवित है। (प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:37:52 IST
Reason: SelfAttested

5. आया कि वर्तमान रिकार्ड में आवन्टी रतनलाल मृत्यु हो जाने से एवं बन्दोबस्त से पूर्व आवन्टी के नाम गैर खातेदारी में आराजी दर्ज होने से वर्तमान रिकार्ड में आवंटन किया जाना उचित होगा। (प्रतिवादी)

6. दादरसी

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 से pw3 के शपथ पत्र पेश किये गये। तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 1 नवीन खसरा नंबर 289 रकबा 0.09 है0 ख नं0 291 रकबा 0.29 है0 , एवं ख0नं0 294 रकबा 0.57 किता 3 रकबा 0.95 है0 नवीन ख0नं0 बने है जिसकी किस्म बंजड बरानी दर्ज कर सिवायचक खाते में दर्ज है। जिसको हमारे खाते दर्ज किया जावे। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण का तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी नं. 1 – ग्राम एवं माल मुसई गुजरान तह0 अटरू में वादी के पिता को दिनांक 16.09.1978 को पुराना ख0नं0 132 की 6 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसका नामान्तरण सख्या 264 दिनांक 23.11.1978 को नायब तहसीलदार अटरू द्वारा वादी के पिता के नाम गैर खातेदारी में आराजी पर दर्ज हुआ। जिसको साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ जमाबन्दी नकल ग्राम मुसई गुजरान संवत 2036–2039 पेश की है जो प्रदर्श 6 ए है। जिसमें वादी के पिता रतनलाल का नाम पुराना ख0नं0 132 की 6 बीघा भूमि दर्ज है। तथा नामान्तरण की नकल प्रदर्श 3 ए है। अनुसार वादीगण के पिता रतनलाल पुत्र रामचन्द्र के नाम ख0नं0 132 की 6 बीघा भूमि गैर खातेदारी में दर्ज करने के आदेश हुए। जिससे साबित होता है कि वादीगण के पिता रतनलाल के नाम पुराना ख0नं0 132 की 6 बीघा भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है। अतः तनकी नं. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 – वादी पुराना रकबा 6 बीघा के नये ख0नं0 289 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 291 का रकबा 0.29 है0 ख0नं0 294 का रकबा 0.57 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.95 है0 पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 खाता सरकार प्रदर्श 1 है व मिलान क्षेत्रफल 1.7.1989 से 30.6.2009 तक जो प्रदर्श 7ए है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी के पिता रतनलाल को आवंटित खसरा नं. 132 की 6 बीघा भूमि का नये ख0नं0 289 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 291 का रकबा 0.29 है0 ख0नं0 294 का रकबा 0.57 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.95 है0 बनाकर खाता सरकार बंजड दर्ज कर दी जिसका वादी को कोई अधिकार नही था। RRD 1983 पेज 64 मातादीन बनाम श्रीराम, RRD 1997 पेज 504 पूसा राम बनाम राजस्व मण्डल मामलों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:57:52 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि ''दौराने सेटलमेंट ASO को खातेदार का नाम परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है।''

WLC (Raj) 1996 (1) पेज 284 पूसा राम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में माननीय न्यायालय में व्यवस्था दी है कि Correction of entry in record of rights post Settlement power and remedy in respect of Land Records Officer has power to correct error creeping in revenue record during settlement operations.

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खातेदार का नाम बिना किसी विधिक प्रक्रिया के न तो सेटलमेंट के दौरान बदला जा सकता है और न ही बाद सेटलमेंट। अतः तनकी नं0 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3– प्रतिवादी को वादी जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही नही करें। इस तनकी साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा नकल नामान्तरण सं0 264 दिनांक 23.11.1978 को वादीगण के पिता के नाम पुराना ख0नं0 132 की 6 बीघा भूमि गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। बाद सेटलमेंट ख0नं0 289 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 291 का रकबा 0.29 है0 ख0नं0 294 का रकबा 0.57 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.95 है0 बनाकर खाता सरकार बंजड बरानी दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी द्वारा भूमि बंजड होने से वादीगण के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई है। जिससे यह साबित होता है कि वादीगण के पिता को आवंटित भूमि पर वादीगण का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। अतः तनकी नं. 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4– आवन्टी रतनलाल पुत्र रामचन्द्र को मृतक अरसा 16 वर्ष हो चुके है जिसके वारीसान वादी नं0 1 मोहनलाल (वादी) 2 बदाम बाई (पुत्री) 3 लाड बाई (पुत्री) जीवित है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादीगण द्वारा जमाबन्दी मुसई गुजरान संवत 2066–69 पेश की गई है जिसमें वादीगण का नाम मोहनलाल, बादाम बाई व लाड बाई अंकित है व आधार कार्ड पेश किये गये है। जिससे साबित है कि वादीगण आंवटी रतन लाल के पुत्र –पुत्रीयां है। अतः तनकी नं. 4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:52 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 5– वर्तमान रिकार्ड में आवन्टी रतनलाल की मृत्यु हो जाने से एवं बन्दोबस्त से पूर्व आवन्टी के नाम गैर खातेदारी में आराजी दर्ज होने से वर्तमान रिकार्ड में आवंटन किया जाना उचित होगा। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में कथन किया गया कि ग्राम मुसई गुजरान गत खसरा नंबर 132 कुल रकबा 37 बीघा में से 6 बीघा किस्म बारानी तृतीय आवंटी रतनलाल पुत्र रामचन्द जाति लुहार के नाम नामान्तरण संख्या 264 दिनांक 18.11.1978 को गैर खातेदारी स्वीकार की गई थी। नामान्तरण प्रति संलग्न है। एवं गैर खातेदारी जमाबन्दी संवत 2036 –39 खाता संख्या 254 गैर खातेदारी की संलग्न है। गत खसरा नंबर 132 के नवीन खसरा नंबर 289 रकबा 0.09 है0 ख नं0 291 रकबा 0.29 है0 , एवं ख0नं0 294 रकबा 0.57 किता 3 रकबा 0.95 है0 नवीन ख0नं0 बने है जिसकी किस्म बंजड बरानी दर्ज कर सिवायचक खाते में दर्ज है। जिससे साबित होता है कि वादीगण के पिता रतन लाल को आंवटित भूमि को वादीगण के खाते दर्ज किया जाना उचित है। तनकी नं. 5 प्रतिवादी के पक्ष वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मुसई गुजरान के नये ख0नं0 289 का रकबा 0.09 है0 ख0न0 291 का रकबा 0.29 है0, ख0नं0 294 का रकबा 0.57 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.95 है0 पर वादीगण मोहनलाल , बादाम बाई व लाड बाई को हिस्सा 1/3– 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:52 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 124/2017

उनवान

1. मोहनलाल आयु 63 वर्ष पुत्र रतनलाल जाति लुहार निवासी मुसई गुजरान तहसील अटरू हाल निवासी अग्रवाल धर्मशाला के पास कवाई जिला बारां (राज०)
2. बादाम बाई आयु 45 वर्ष पुत्री रतनलाल पत्नि बालमुकन्द जाति लुहार निवासी मुसई गुजरान हाल निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. लाड बाई आयु 40 वर्ष पुत्री रतनलाल पत्नि त्रिलोकचन्द जाति लुहार निवासी मुसई गुजरान हाल निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :-

वादीगणः- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगणः- विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मुसई गुजरान के नये ख0नं0 289 का रकबा 0.09 है0 ख0न0 291 का रकबा 0.29 है0, ख0नं0 294 का रकबा 0.57 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.95 है0 पर वादीगण मोहनलाल , बादाम बाई व लाड बाई को हिस्सा 1/3- 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। खातेदार कृषक धोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग............................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.03.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प [illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	[illegible]	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:57:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)